न्यायालय जिला कलक्टर, झुंझुनू

पीठासीन अधिकारी :– यू0डी0 खान
आई.ए.एस.

प्रथम अपील संख्या 63 / 2020

फूलाराम सैनी पुत्र भंवरलाल सैनी, मोतीसिंह की ढाणी, जांगिड मंगल भवन के पास, वार्ड न0 51, बगड रोड, झुंझुनूं

बनाम

लोक सूचना अधिकारी (उप खण्ड अधिकारी) झुंझुनूं।

– –

सूचना का अधिकार अधिनियम
के तहत प्रस्तुत प्रथम अपील.

आदेश

दिनांक 15.10.2020

1. पत्रावली आज पेश हुई। प्रार्थी (अपीलार्थी) द्वारा यह प्रथम अपील प्रार्थना पत्र सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत दिनांक 08.09.2020 को इस न्यायालय में प्राप्त होने पर प्रथम अपील मिसल नम्बर 63 / 2020 पर दिनांक 08.09.2020 को दर्ज की गई। अपीलार्थी द्वारा उक्त अपील लोक सूचना अधिकारी (उप खण्ड अधिकारी) झुंझुनूं के विरूद्व पेश की गई है।
2. अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र लोक सूचना अधिकारी (उप खण्ड अधिकारी) झुंझुनूं को प्रस्तुत कर आवेदन पत्र में वर्णित सूचना चाही गई।
3. लोक सूचना अधिकारी (उप खण्ड अधिकारी) झुंझुनूं से इस कार्यालय के पत्रांक पाठक / 2020 / 1296 दिनांक 09.09.2020 द्वारा तथ्यात्मक टिप्पणी चाही गयी थी।
4. लोक सूचना अधिकारी (उप खण्ड अधिकारी) झुंझुनूं ने पत्रांक आरटीआई / 337 दिनांक 05.10.2020 द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वर्णित सूचना तहसीलदार झुंझुनूं से संबंधित होने के कारण तहसीलदार झुंझुनूं की रिपोर्ट के अनुसार आवेदक द्वारा चाही गई सूचना का राजस्व रिकार्ड मे कोई अंकन नही है तथा आवेदक द्वारा चाही गई समस्त सूचना प्रश्नात्मक है। अतः सूचना प्रश्नात्मक होने के कारण सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्रश्नोत्तर सूचना उपलब्ध करवाये जाने का प्रावधान नही है। जो तहसीलदार झुंझुनूं के पत्रांक रीडर / आर0टी0आई / 2020 / 75 दिनांक 28.09.2020 के द्वारा आवेदक को सूचित किया जा चुका है। अतः अपीलार्थी का प्रथम अपील का प्रार्थना पत्र खारीज किये जाने की कृपा करे।
5. अपीलार्थी सुनवाई हेतु उपस्थित नही।
6. लोक सूचना अधिकारी (उप खण्ड अधिकारी) झुंझुनूं द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार अपीलार्थी को उनके कार्यालय के पत्रांक आरटीआई / 337 दिनांक 05.10.2020 द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वर्णित सूचना तहसीलदार झुंझुनूं से संबंधित होने के कारण तहसीलदार झुंझुनूं की रिपोर्ट के अनुसार आवेदक द्वारा चाही गई सूचना का राजस्व रिकार्ड मे कोई अंकन नही है तथा आवेदक द्वारा चाही गई समस्त सूचना प्रश्नात्मक है। अतः सूचना प्रश्नात्मक होने के कारण सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्रश्नोत्तर सूचना उपलब्ध करवाये जाने का प्रावधान नही है। तहसीलदार झुंझुनूं के पत्रांक रीडर / आर0टी0आई / 2020 / 75 दिनांक 28.09.2020 के द्वारा आवेदक को सूचित किया जा चुका है। अतः अपीलार्थी का अपील प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है।
7. अपीलार्थी को यह भी सूचित किया जाता है कि आप इसकी द्वितीय अपील माननीय राज्य सूचना आयोग जयपुर के यहां निर्धारित समयावधि में कर सकते है।

आदेश आज दिनांक 15.10.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(यू0डी0 खान)
जिला कलक्टर, झुंझुनूं
जिला कलक्टर झुन्झुनू
15/10/2020